BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 630/2019

President Shree Guru Gorak Nath Jee Maharaj
Vikas Sewa Siksha Samiti

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondents

COMPLIANCE REPORT OF THIS HON'BLE TRIBUNAL ORDER DATED 20.08.2019, ON BEHALF OF RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD.

I, Vijay Sharma S/o Lt. Shri Krishan Kumar Sharma aged about 47 years, at present working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Kota (Raj.) do, hereby submits the compliance report as follows:-

1) That the Hon'ble Tribunal by order dated 20.08.2019 directed as follows:-

"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal mining through crusher machine in Village Chenupuria, Tehsil Chipabadod, District Barah, Rajasthan damaging the forest area.

Let the District Magistrate, Barah and the State Pollution Control Board (SPCB) jointly look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency will be the SPCB for coordination and compliance"

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

2) That in compliance of this Hon'ble Tribunal order inspection of M/s Jyoti Kiran Stone Crusher, at Khasra no. 203/137, Village Faliya, Tehsil Chhipa Barod, District Baran was conducted on 20.12.2019 jointly by a team of officials from District Administration, Mining Department, Forest Department, Agriculture Department and Health Department. During the course of inspection the stone crusher was non-operative for maintenance of machinery. The team had also inspected the said mining pit at village Chainpuriya Khasra no. 96/26. During the course of inspection it was observed that pit of surface area about 21 meters x 55 meters is there within the Khasra no. 96/26. The pit was filled with rain water. As reported by the Asst. Mining Engineer, the Department of Mines & Geology has not issued any permission/permit for mining on the said land. It has also been reported that looking to the site conditions, mining in the pit might have been done prior to the last rainy season (approx. 6 month ago) and there are no marks/sign of recent mining activities in the area. The photo copy of the joint inspection reports are annexed herewith and marked as **Annexure-1 (Collectively)**.

As per the physical observation of pollution control measures at the stone crusher, the RSPCB had issued show cause notice on 19/02/2020 for intended revocation of consent to operate and intended directions under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The RSPCB has given opportunity of being heard (OBH) to the

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

project proponent to submit reply and requisite details/documents, if he desires so, in person or through his representative on 02.03.2020 at 3.00 PM. The photo copy of the show cause notice dated 19.02.2020 is annexed herewith and marked as **Annexure-2.**

3) That the OBH was conducted on 02.03.2020 and attended by the Director of the unit. During OBH, it was decided that the project proponent shall complete the remaining work of construction of boundary wall by 30.04.2020 and shall also submit bank guarantee of Rs. 1 Lakh as a surety in this regard. Also, Environment Compensation shall be imposed for the past violation as per guidelines of the State Board.

4) That in the light of submissions made herein above, it is requested that the compliance report may kindly be taken on record.

(Vijay Sharma)
Regional Officer, RSPCB, Kota

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 630/2019

President Shree Guru Gorak Nath Jee Maharaj
Vikas Sewa Siksha Samiti

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondents

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Compliance Report of this Hon'ble Tribunal order dated 20.08.2019, on behalf of Rajasthan State Pollution Control Board.	
2.	DOCUMENTS	
	Annex-1- Photo copy of the joint inspection report **(Collectively).**	
	Annex-2- Photo copy of the show cause notice dated 19.02.2020.	

(Vijay Sharma)
Regional Officer, RSPCB,
Kota, Rajasthan

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

ANNEXURE- 1

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

कमांक:–एफ.7 / विधि / 2020 / 1

दिनांक : 1 जनवरी 202

निमित्त:–
श्रेत्रीय अधिकारी,
राज.राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,
कोटा (राज.)

विषय:– ऑरिजनल एप्ली0 नं0 630 / 2019 अध्यक्ष श्री गुरू गोरक्षनाथ जी महाराज विकास सेवा शिक्षा समिति बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य बैंच नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 की पालना रिपोर्ट के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश की पालना मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा ग्राम चेनपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज. मे केशर मशीन द्वारा अवैध खनन एवं फोरेस्ट एरिया को नष्ट किये जाने के सम्बंध मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कार्यालय के पत्रांक विधि / 2019 / 1561 दिनांक 17.12.2019 से संयुक्त टीम गठित की गई थी। उक्त संयुक्त टीम द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है–

1. ब्लॉक चिकित्साधिकारी, छीपाबडौद के द्वारा आस–पास के क्षेत्र का निरीक्षण / जांच कर बताया कि उक्त केशर संरचना से आस–पास के लोगों पर दुष्प्रभाव नही पडेगा। संरचना से बस्ती उचित दूरी पर स्थित है।
2. सहायक कृषि अधिकारी, छीपाबडौद के द्वारा बताया गया है कि केशर संचालन से आस–पास के खेतो / कृषि कार्यो पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड रहा है। मौके पर सरसब्ज फसल खडी हुई है।
3. संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम चैनपुरिया स्थित अवैध खनन पिट का मौका देखा गया है। मौके पर ग्राम चैनपुरिया खसरा न0 96 / 26 रकबा 12.17 बीघा किस्म बंजर मय हिस्सा 1 / 2 में से 105 / 257 खातेदार छेलबिहारी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां के नाम दर्ज है। मौके पर लगभग 21 मीटर X 55 मीटर पिट बनाकर खनन किया गया जिसमें वर्तमान में पानी भरा हुआ है। ताजा खनन के कोई निशानात नहीं पाये गये। मौका स्थिति एवं स्थानीय जानकारी से ज्ञात होता हैं कि उक्त खनन कार्य बरसात से पहले लगभग 6 माह पूर्व किया गया। मौके पर एक ढेर का मलबा पडा हुआ है। खान विभाग के अनुसार उक्त जगह पर खनन विभाग के द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति / परमिट नही दी गई है। उक्त खनन पिट में पानी भरे होने से खनन पिट की वक्त निरीक्षण गणना किया जाना संभव नहीं है।

2

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

4. मौके पर ग्राम फलिया की खसरा न0 203/137 रकबा 6 बीघा खातेदार छैलबिहारी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां का ज्योति किरण स्टोन केशर लगा हुआ है। वक्त निरीक्षण केशर बन्द पाया गया है। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधी श्री छैलबिहारी नागर द्वारा बताया गया है कि केशर लगभग 6 महीने से गिट्टी की आवश्यकता व विभागीय कमियों की पूर्ति न होने की वजह से बन्द है। उक्त केशर से संबंधित खनिज स्त्रोत के बारे में पूछे जाने पर श्री छैलबिहारी द्वारा बताया गया कि खनन पट्टा संख्या 57/05 ग्राम बडोरा तहसील अटरू जिला बारां में स्वीकृत है। जिससे खनिज मेसनरी स्टोन प्राप्त कर केशर संचालन किया जाता है मौके पर केशर परिसर में घुम फिर कर देखा गया तो किसी प्रकार का खनिज (मेसनरी स्टोन) स्टॉक किया हुआ नहीं पाया गया। उक्त केशर से आबादी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केशर के चारो और पक्की बाउंडरी नही बनी हुई है। मौके पर केशर पर पेड पौधे लगे हुऐ नहीं पाये गये।
5. श्री अनुराग सिंह कनिष्ठ अभियंता रा.रा.प्र.नि. बोर्ड कोटा द्वारा प्रदूषण व अन्य बिन्दूओं पर पृथक से निर्धारित प्रारूप में अलग से निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गयी है जो संलग्न है।

अतः निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(इन्द्र सिंह राव)
जिला मजिस्ट्रेट, बारां

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

NIC Email

कार्यालय तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 278

दिनांकः–24.12.2019

निमित्तः– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
बारां (राज0)

विषयः– ओरिजिनल एप्ली0 नं0 630 / 2019 अध्यक्ष श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज विकास सेवा शिक्षा समिति बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में

प्रसंगः–श्रीमान जी का पत्रांक एफ–7 ( ) विधि / 2019 / 1561 दिनांक 17.12.2019 के क्रम में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश की पालना में श्रीमान जी द्वारा गठित टीम ने दिनांक 20.12.2019 को एम / एस ज्योतिकिरण स्टोन क्रेशर ग्राम फलिया तहसील छीपाबड़ौद का मौका निरीक्षण किया गया एवं उक्त क्रेशर पर ग्राम चैनपुरिया से उठाये गए मिनरल से सम्बन्धित मौका देखा गया। संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 201.12.2019 संलग्न प्रस्तुत है। इसी सम्बन्ध में पर्यावरण कनिष्ठ अभियंता आर0एस0पी0सी0बी0 आरओ0 कोटा श्री अनुराग सिंह द्वारा भी क्रेशर स्थल का मौका निरीक्षण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित विभाग के प्रारुप में मौका रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है। मुख्य रुप से क्रेशर मशीन

इत्यादि मिनरल नही पाया गया है। रिपोर्ट श्रीमान को सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
तहसील छीपाबड़ौद

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

सयुक्त मौका रिपोर्ट ग्राम चैनपुरिया व फलिया दिनांक 20.12.2019

आज दिनांक 20.12.2019 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश कमांक 1561 दिनांक 17.12.2019 की पालना में ऑरिजनल एप्ली. नम्बर 630/2019 अध्यक्ष श्री गुरू गोरक्ष नाथ जी महाराज विकास सेवा शिक्षा समिति बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्युनल (एन.जी.टी.) मुख्य बैंच नई दिल्ली के द्वारा 20.08.2019 को पारित आदेश ग्राम चैनपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान में केसर मशीन द्वारा अवैद्य खनन व वन क्षेत्र नष्ट किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बारां व राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा सुयक्त टीम से नियमों के अनुसार अवश्यक कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपार्ट प्रेषित करने के आदेश के कम में सयुक्त टीम के निम्न अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए–

1. पन्नालाल रैगर तहसीलदार छीपाबडौद (प्रभारी अधिकारी) मय हल्का पटवारी

2. नानक राम सांवरिया क्षेत्रिय वन अधिकारी छीपाबडौद (वन विभाग)

3. अनुराग सिंह कनिष्ठ अभियंन्ता रा.रा.प्र.नि.बोर्ड कोटा

4. हरिसिंह मीना ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी छीपाबडौद

5. मोहनलाल जी महावर साहयक कृषि अधिकारी छीपाबडौद

6. राजेन्द्र भट्ट सहायक खनिज अभियंन्ता बारा मय तकनिकी स्टॉफ

तथ्यात्मक बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. श्रीमान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी छीपाबडौद द्वारा आस पास के क्षेत्र का निरीक्षण/जाच कर बताया गया कि उक्त केसर संरचना से आस–पास के लोगो पर दुष्प्रभाव नहीं पडेगा। संरचना से बस्ती उचित दूरी पर है।

2. श्रीमान सहायक कृषि अधिकारी छीपाबडौद द्वारा बताया गया कि केसर संचालन से आस–पास के खेतों/कृषि कार्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड रहा है। मौके पर सरसब्ज फसल खडी हुई है।

3. तत्पश्चात सयुक्त टीम से ग्राम चैनपुरिया स्थित अवैद्य खनन पिट का मौका देखा गया। मौके पर ग्राम चैनपुरिया खसरा नं. 96/26 रकबा 12.17 बीघा किस्म बंजड मय हिस्सा 1/2 में से 105/257 खातेदार छैलबिहारी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां के नाम दर्ज हैं। मौके पर लगभग 21 मीटर X 55 मीटर पिट बनाकर खनन किया गया। जिसमें वर्तमान में पानी भरा हुआ है। ताजा खनन के कोई निशानात नहीं पाये गए। मौका स्थिति एवं स्थानीय जानकारी से ज्ञात होता है कि उक्त खनन कार्य बरसात से पहले लगभग 6 माह पूर्व किया गया। मौके पर एक ढेर का मलबा पडा हुआ है। खान विभाग के अनुसार उक्त जगह पर खनन विभाग द्वारा किसी प्रकार की ~~किसी प्रकार~~ खनन स्वीकृती /परमीट नहीं दी गई है। उक्त खनन पिट में पानी भरे होने से खनन पिट की वक्त निरीक्षण गणना किया जाना संभव नहीं है।

कनिष्ठ अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

तहसीलदार
छीपाबडौद जिला बारा

(1)

Scanned by CamScanner

4. मौके पर ग्राम फलिया की खसरा नं. 203 / 137 रकबा 6 बीघा खातेदार छैलबिहारी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति धाकड निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां में क्रेसर ज्योति किरण स्टॉन क्रेसर लगा हुआ है। वक्त निरीक्षण क्रेसर बंद पाया गया । मौके पर उपस्थित प्रतिनिधी श्री छैलबिहारी नागर द्वारा बताया गया कि केसर लगभग 6 महीने से गिट्टी आवश्यकता व विभागीय कमीयों की पूर्ति न होने की वजह से बंद है। उक्त क्रेसर से संबंन्धित खनिज स्त्रोत के बारें में पूछे जाने पर श्री छैलबिहारी द्वारा बताया गया कि खनन पट्टा सख्या 57 / 05 ग्राम बडोरा तहसील अटरू जिला बारां में स्वीकृत है। जिससे खनिज मेसनरी स्टॉन प्राप्त कर केसर संचालन किया जाता है। मौके पर केसर परिसर में घूम फिर कर देखा गया तो किसी प्रकार का खनिज (मेसनरी स्टॉन) स्टॉक किया हुआ नहीं पाया गया। उक्त केसर से आबादी लगभग 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। केसर के चारो ओर पक्की बांउडरी नही बनी हुई है। मौके पर केसर पर पेड–पोधे लगे हुए नहीं पाये गये।

5. श्री अनुराग सिंह कनिष्ठ अभियन्ता रा.रा.प्र.नि.कोटा द्वारा प्रदूषण व अन्य बिन्दूओं पर पृथक से निर्धारित प्रारूप में अलग से निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई जो संलग्न है।

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

Inspection report

Of

M/s Jyoti Kiran Stone Crusher, Village Faliya, Tehsil Chhipa Barod, District Baran.

ame & ress	M/s Jyoti Kiran Stone Crusher, Village Faliya, Tehsil Chhipa Barod, District Baran.
duct	Stone Grit and Dust @ 100 TPD (as per CTO)
tegory	Red & Small
atus of peration	Non-operational
onsent atus	• Unit was granted CTO vide H.O. letter dated 31/08/2018 for production of stone grit and dust @ 100 TPD, with validity upto 31/07/2023.

Visit observations:

- The undersigned official visited M/s Jyoti Kiran Stone Crusher, Village Faliya, Tehsil Chhipa Barod, District Baran on 20/12/2019 during a joint inspection, in the presence of Sh. Chelbihari Nagar (Partner), in reference to NGT order dated 20/08/2019. The joint inspection team included Sh. Pannalal Regar (Tehsildaar, Chhipa Barod), Dr. Hari Singh Meena (ECMHO, Chhipa Barod), Mohanlalji Mahawar (Asst. Agriculture Officer, Chhipa Barod), Sh. Nanakram (Regional Forest Officer, Chhipa Barod) and Sh. Rajendra Bhatt (Asst. Mining Engineer, Baran).
- During visit plant was found non-operational due to repairing of conveyor belts.
- Display board was provided outside the unit.
- One jaw crusher (15" x 30") was installed and was found partially covered with G.I. tin sheets. Sprinkler was provided at the jaw crusher.
- Two granulators (6" x 36") and one primary screen (10' x 5') were installed and were found partially covered with G.I. tin sheets. Sprinklers were provided at the granulators and primary screen.
- One secondary screen (18' x 5') was installed and was found partially covered with G.I. tin sheets.
- Water sprinklers have been provided at transfer points connecting screen to the conveyors
- The conveyor chutes of dust conveyor were provided with elongated cone.

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

- Out of 6 product conveyors, wind breaking wall has been provided at 5 product conveyors. Unit representative was advised to provide the wind breaking wall with the 6th conveyor too.
- Plantation was inadequate. Unit representative was advised to provide more plantation.
- Adequate water storage was provided for sprinkling purposes and source of water is through borewell inside the premises.
- The unit has provided demarcation around the area of the premises using barb wire fencing. However, no boundary wall has been provided.
- Unit has not provided metalled road (murram) within the premises.
- Unit has installed an old D.G. set of 250 KVA, without acoustic enclosure and having adequate stack height.

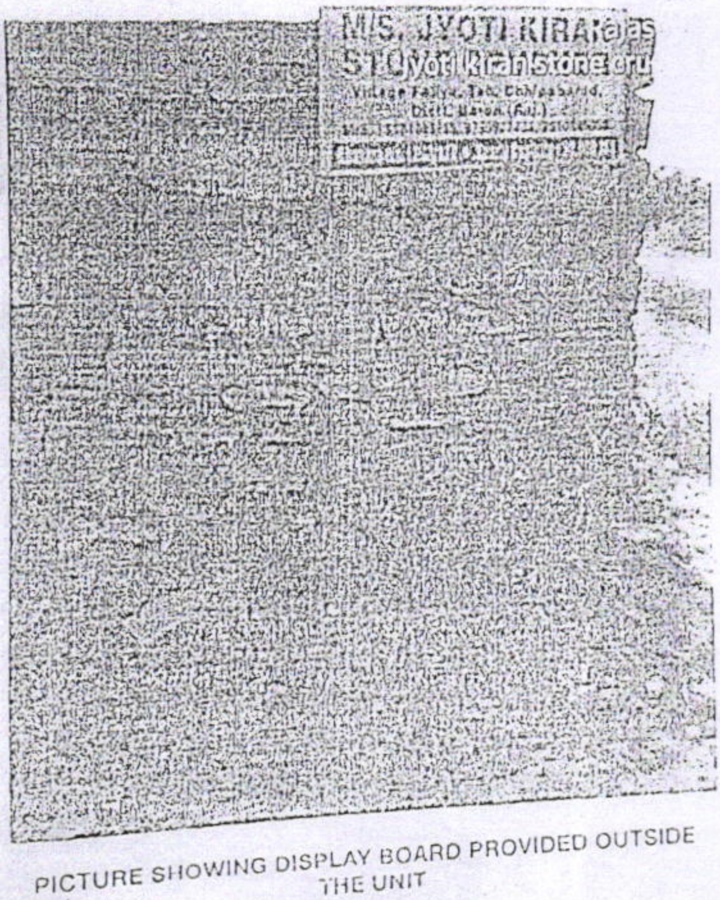

PICTURE SHOWING DISPLAY BOARD PROVIDED OUTSIDE THE UNIT

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

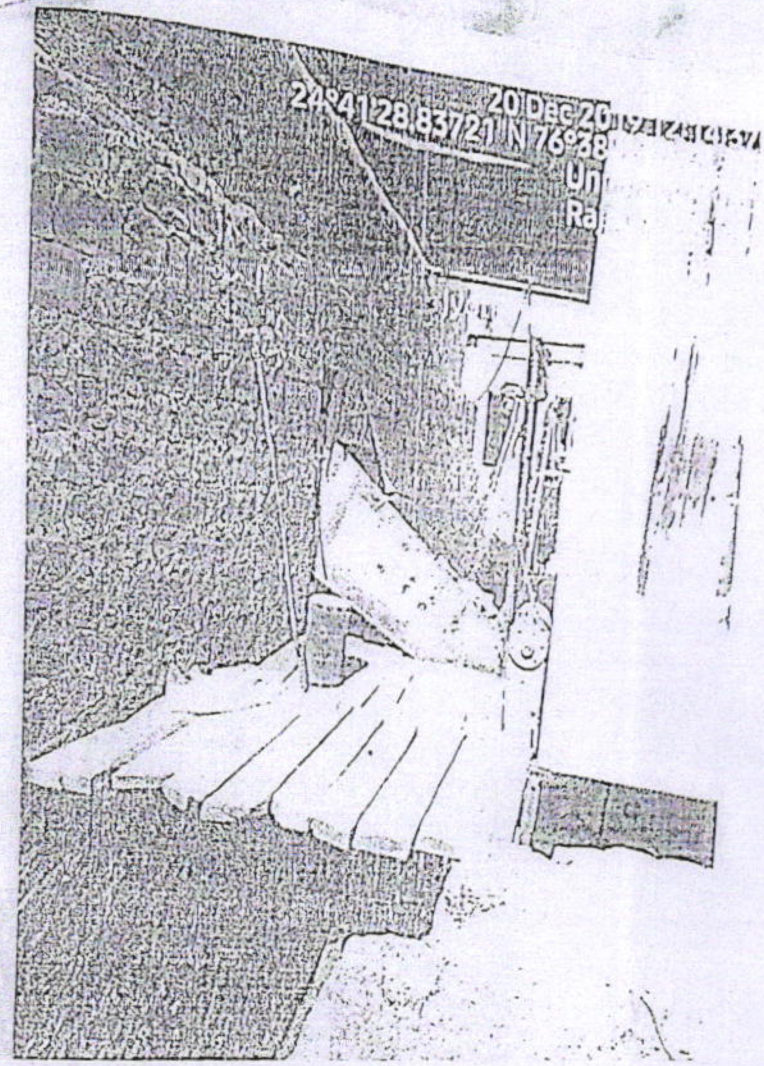

PICTURE SHOWING PARTIALLY COVERED JAW CRUSHER
INSIDE THE UNIT

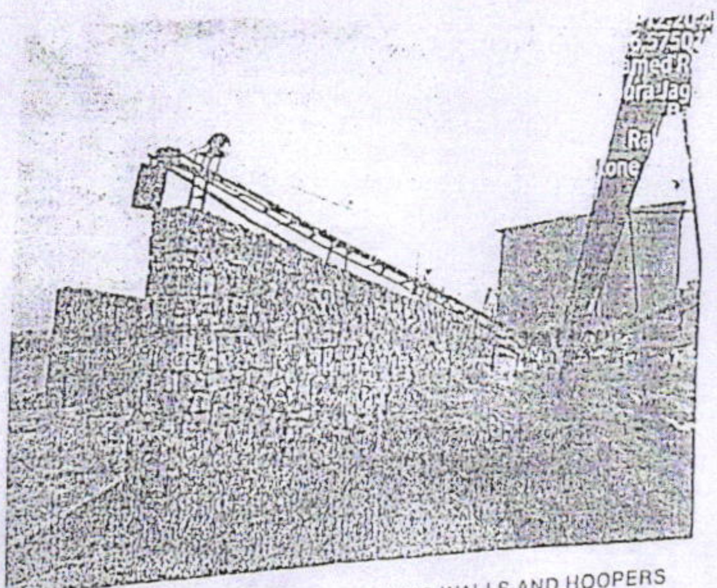

PICTURE SHOWING WIND BREAKING WALLS AND HOOPERS
ON THE CONVEYORS

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

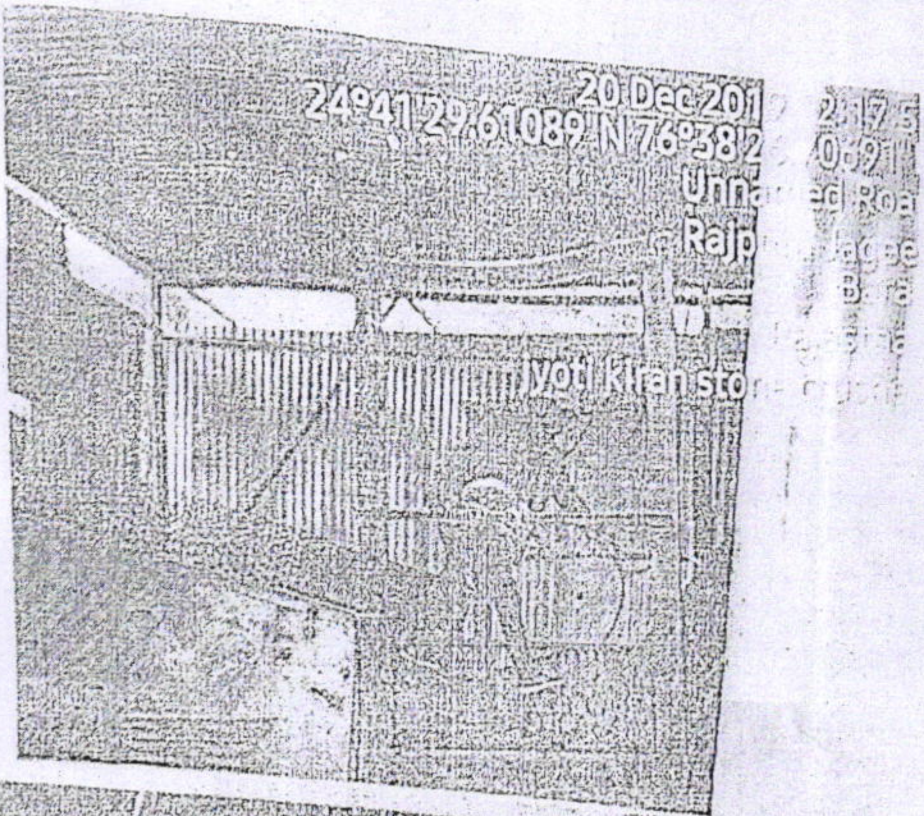

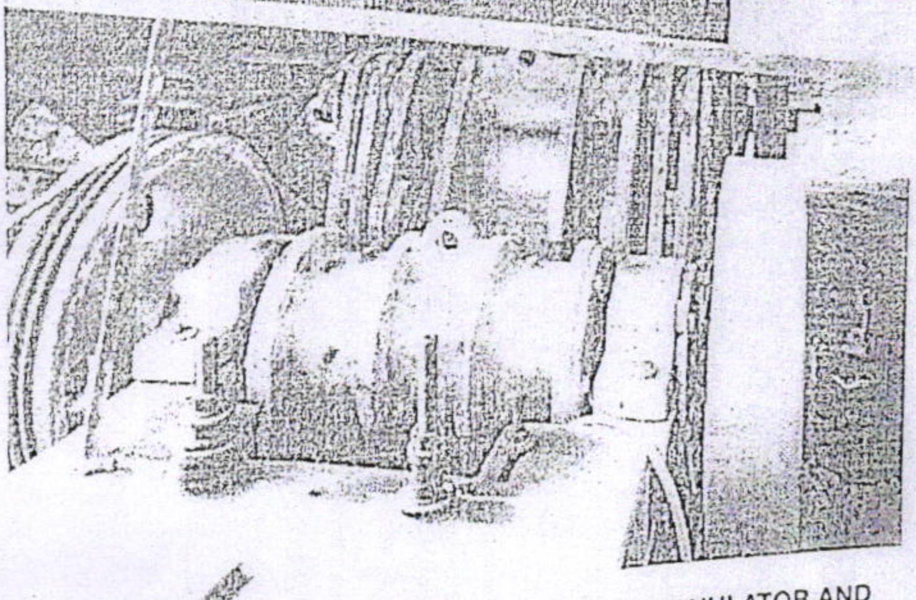

PICTURE SHOWING PARTIALLY COVERED GRANULATOR AND SPRINKLER ON THE GRANULATOR

nurag Singh)
nior Env. Engineer,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

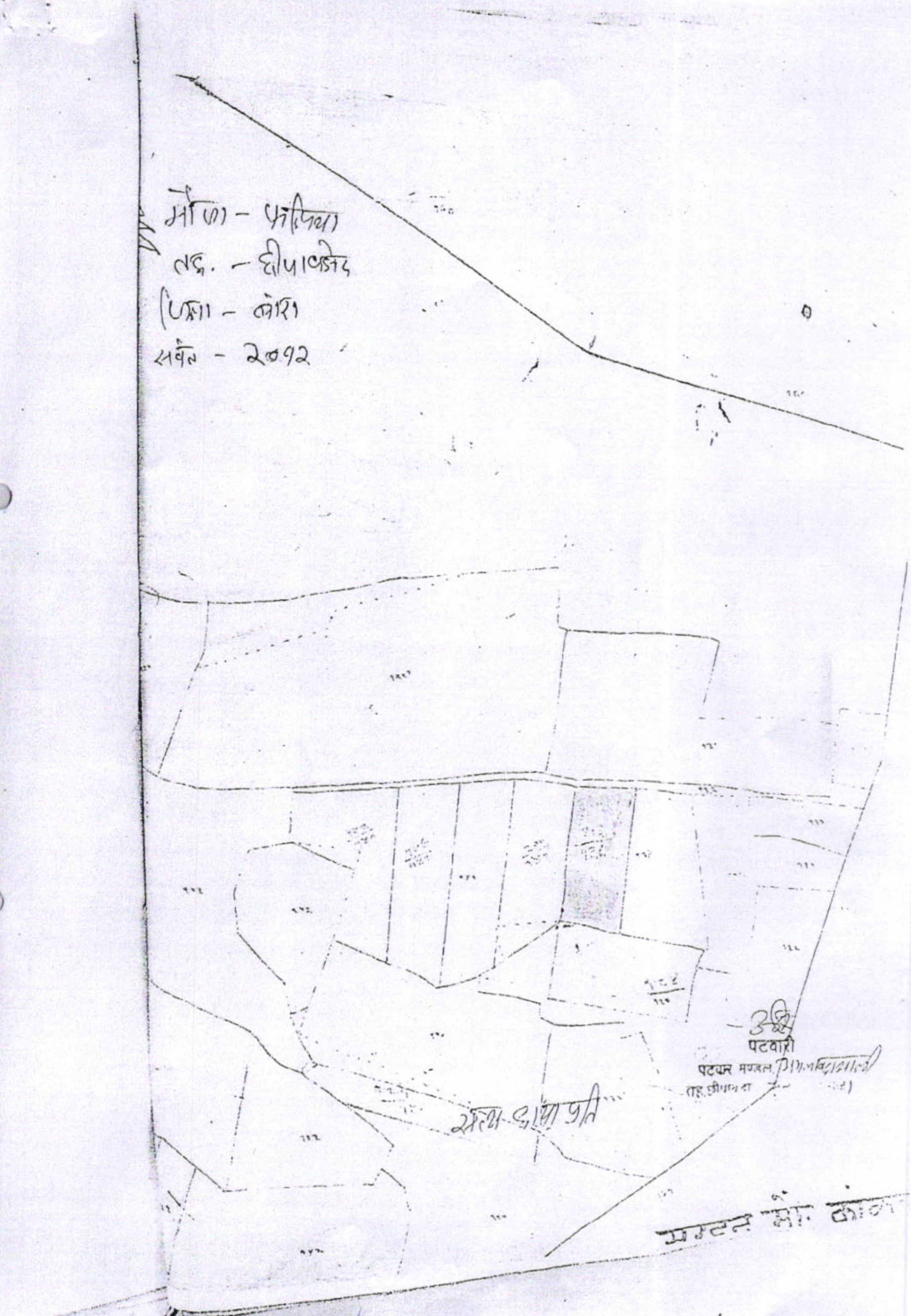

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

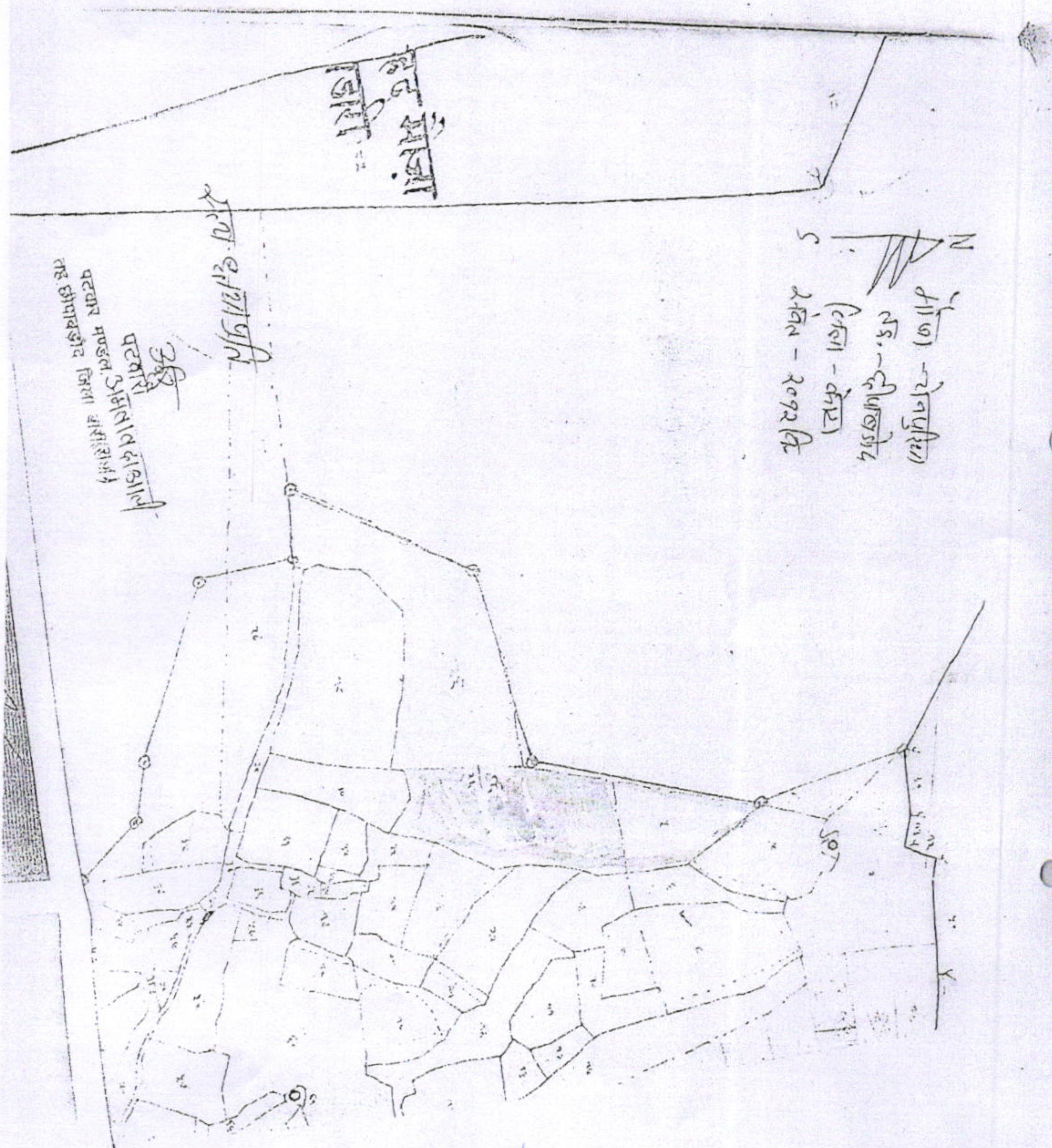

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम :	नैनपुरिया	पटवार हल्का	अमलावदाआली	भू.अभि.नि.क्षेत्र	मोतमपुरा
	छीपाबड़ौद	जिला :-	बारां	दिनांक :-	20/12/2019
	2074 - 2077	वास्तविक सम्वत :-	2074		
	बीघा-बिस्वा			जरीब :-	गन्टरी-132

प्रपत्र पी-26(बी)

पृष्ठ संख्या 1 of 2

खाता (पुरानी/पुराना)	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा(हैक्टेयर)	भूमि वर्गीकरण		सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख / भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11 / 12	13
10	राज.	मोहम्मद हनीफ खां मोहम्मद सलीम खां पुत्र	96/26	12-17 (2.0801)	बंजड	12-17 (2.0801)		0.47	6.04	"नामा. स.: 170 - नि.दि.: 22/08/2017 -	
	सरकार	नसीर मोहम्मद खां जाति मुसलमान सा.देह	111/23	1-17 (0.2995)	बरानी2	1-15 (0.2833)		0.62	1.09	रहनमुक्त मे मोहम्मद हनीफ खां का हि. 1/2	
		खातेदार रहन - CBI शाखा ढोलम हि.			बजंड़ 2	0-02 (0.0162)		0.37	0.04	रहनमुक्त करने का आदेश हुआ	
		मोहम्मदसलीम खां का रहन - SBI शाखा	113/19	0-17 (0.1376)	चेड़ा - 2	0-17 (0.1376)		1	0.85	"नामा. स.: 171 - नि.दि.: 05/09/2017 -	
		छीपाबड़ौद हि.मोहम्मद हनीफ खां का	114/20	0-14 (0.1133)	बरानी2	0-14 (0.1133)		0.62	0.43	बेचान से जर्ये रजि. विक्रय पत्र खातेदार	
			115/21	0-09 (0.0728)	बरानी2	0-07 (0.0567)		0.62	0.22	मोहम्मद हनीफ खां ने अपने खाते का ख.न.	
					बजंड़ 2	0-02 (0.0162)		0.37	0.04	96/26रकबा 12-17 बीघा भूमि में हि. 1/2	
			115/17	1-15 (0.2833)	बरानी2	1-09 (0.2347)		0.62	0.90	में से हि. 105/257 केवा छैलबिहारी	
					बजंड़ 2	0-06 (0.0486)		0.37	0.11	पुत्र जगदीशप्रसाद जाति धाकड़ सा.बडोरा	
										तहसील अटरू के नाम खाता दर्ज करने का	
										आदेश हुआ	
										"नामा. स.: 181 - नि.दि.: 20/06/2018 -	
										बेचान से जर्ये रजि. खातेदार मो. हनीफ खाँ	
										का ख.न. 111/23 रकबा 1.17 ख.न. 113/19	
										रकबा 0.17 ख.न. 114/20 रकबा 0.14 ख.न.	
										115/21 रकबा 0.09 ख.न. 116/17 रकबा 1.15	
										किता 5 रकबा 5.12 भूमि मे अपने खाते का	
										सम्पूर्ण हि. 1/2 केता श्रेनाज खान	
										पत्नी मो. अहमदखान कौम मुसलमान सा. देह	
										के नाम खाता दर्ज करने का आदेश हुआ	
										"नामा. स.: 182 - नि.दि.: 04/12/2018 -	
										रहननामा से क्षेत्र धन का हि. 1/2 BOB	
										शाखा छीपाबड़ौद के जरिए रहन दर्ज करने का	

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

…म :- चैनपुरिया
छीपाबड़ौद
2074 - 2077
बीघा-बिस्वा

पटवार हल्का
जिला :-
वास्तविक सम्वत :-

अमलावदाआली
बारां
2074

भू.अभि.नि.क्षेत्र मांगमपुरा
दिनांक :- 20/12/2019
जरीब :- गन्टरी-132

प्रपत्र पी-26(बी)
पृष्ठ संख्या 2 of 2

…री) …राना	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा(हैक्टेयर)	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि और विशिष्टियाँ जिस रूप में भूमि अर्जित हो	टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

आदेश हुआ

कुल खसरा :6 — कुल क्षेत्रफल : 18-09 (2.9865) — भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल — 9.72

बरानी2	4-05 (0.6880)	2.64
दंजड	12-17 (2.0801)	6.04
बंजड़ 2	0-10 (0.0810)	0.19
खेड़ा - 2	0-17 (0.1376)	0.85

…सी शुद्धि हेतु उक्त नामान्तरण जाँच प्रक्रिया में है।
…स्त केवल सरकारी कार्य हेतु निशुल्क जारी की गई है।
…णित किया जाता है कि इस प्रतिलिपि में दिनांक तक के समस्त परिवर्तन समाविष्ट कर दिये गये है।

…तिलिपि क्रमांक:- 2906981-2319
…तिलिपि जारी करने का दिनांक- 20/12/2019

सत्य प्रतिलिपि
…1604… आवेदन की तिथि 20/12/19
…द दी तिथि 20/12/19 नि.शुल्क
तहसीलदार
…छीपाबड़ौद

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

...नाम :-	फलिया	पटवार हल्का	अमलावदाआली	भू.अभि.नि.क्षेत्र	मांगपुरा
	छीपाबडौद	जिला :-	बारां	दिनांक :-	20/12/2019
	2072 - 2075	वास्तविक सम्वत :-	2072	जरीब :-	गन्टरी-132
	बीघा-बिस्वा				

पृष्ठ संख्या 1 of 1

खाता संख्या (खतौनी)	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा(हैक्टेयर)	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण क्रमांक व तारीख	भूमि और विशिष्टियाँ जिस रूप में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	राज. सरकार	छैलबिहारी पुत्र जगदीशप्रसाद कौम धाकड ना.बडौदा तह0 अटरू नामा.न.302,305	203/137 उत्तर दक्षिण	6 (0.9712)	बारानी तृतीय 6 (0.9712)		0.5	3.00			

कुल खसरा :1 | कुल क्षेत्रफल : 6 (0.9712) | भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल 3.00

बारानी तृतीय 6-00 (0.9712) 3.00

...लत केवल सरकारी कार्य हेतु निशुल्क जारी की गई है।

...लि किया जाता है कि इस प्रतिलिपि में दिनांक तक के समस्त परिवर्तन समाविष्ट कर दिये गये हैं।

...लिपि क्रमांक- 2906923-2318

...लिपि जारी करने का दिनांक- 20/12/2019

सत्य प्रतिलिपि

कम्प्यूटरीकृत अधुना धाता केन्द्र,

क्र. 1405 आवेदन की तिथि 20/12/19

देने की तिथि 20/12/19 शुल्क निःशुल्क

पटवारी (एल.आर.सी.)

छीपाबडौद

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

Scanned by CamScanner

ANNEXURE- 2

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-2716813-14, 2716833, 874, e-mail: scmgds.rpcb@gmail.com
Toll Free Help Line No. : 18001806127 Ext. 7

रजिस्टर्ड पोस्ट/ई–मेल

एफ.एससीएमजीएण्डडीएस(बारां–43)राप्रनिम/ 2130 　　　　　　　　दिनाक : 19-2-20

मैसर्स ज्योति किरण स्टोन केशर,
गांव फालिया, तहसील छिपा बडोद,
जिला बांरा।

विषयः– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) के अन्तर्गत संचालन सम्मति को प्रतिसंहरण (Revocation) करने, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत उद्योग बन्द करवाने के आशय से कारण बताओं नोटिस एवं सुनवायी का अवसर(OBH) बाबत्।

सन्दर्भः–(1) राज्य मण्डल द्वारा जारी उद्योग को संचालन सम्मति दिनांक 31.08.2018.
(2) राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा निरीक्षण दिनांक 20.12.2019.

1. यह कि राजस्थान में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (जिसे बाद में "वायु अधिनियम" कहा गया) दिनांक 16.06.1981 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया।
2. और यह कि वायु अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण और वायु की गुणवता को बनाये रखने एवं बहाल करने के लिये अधिनियमित किया गया।
3. और यह कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (जिसे बाद में 'मण्डल' कहा जायेगा) को इस तरह के कदम उठाने की शक्ति प्रदान की गई है जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये आवश्यक समझा जावेगा।
4. और यह कि आप द्वारा उद्योग का संचालन **मैसर्स ज्योति किरण स्टोन केशर** के नाम से **ग्राम फालिया, तहसील छिपा बरोड, जिला बांरा** में स्टोन ग्रिट एवं डस्ट उत्पादन के लिये किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषक तत्व उत्सर्जित होते है जिससे वायु प्रदूषण होने की संभावना रहती है।
5. और यह कि आपके उद्योग का निरीक्षण राज्य मण्डल के क्षैत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा दिनांक 06. 12.2019 को किया गया तथा निरीक्षण के दौरान यह पायी गयी अनियमितताओं के कारण उद्योग को आपको संचालन सम्मति प्रतिसंहरण(Revocation) एवं उद्योग को बन्द करने के आशय से वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31(अ) के अर्न्तगत कारण बताओं नोटिस दिनांक 17.12.2020 को जारी किया गया था।
6. और यह कि आप द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.12.2019 का परीक्षण करने पर जवाब अपूर्ण पाया गया।

2679
27/02/20

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

7. और यह कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश दिनांक 20.08.2019 की अनुपालना में संयुक्त जॉच दल द्वारा उद्योग का पुनः निरीक्षण दिनांक 20.12.2019 को किया गया एवं निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित व्यवस्था नही थी।
8. और यह है कि उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि उद्योग संचालन सम्मति दिनांक 31.08.2018 की शर्तो की अवहेलना कर रहा है।
9. और यह कि उक्त अवहेलना वायु अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आती है।
10. और यह है कि राज्य मण्डल वायु अधिनियम की धारा 31ए के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के तहत किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को दिशा निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे दिशा निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे, जिसमें निम्न प्रत्यक्ष निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल है:–

(अ) किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया को बन्द (Closure), निषेध (Prohibition) या विनियमन (Regulation) या

(ब) बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना (Stopage) या विनियमन।

उपरोक्त को देखते हुए, यह कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है कि क्यों नहीं आपके उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) के अन्तर्गत जारी संचालन सम्मति को प्रतिसंहरण (Revoke) कर, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत उद्योग को बन्द करने हेतु आदेश जारी किये जायें। इस बाबत् आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति जो निर्णय लेने हेतु सक्षम हो सभी संबंधित दस्तावेज/सबूत के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु **दिनांक 02.03.2020 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे**, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा बिना किसी और सूचना के अग्रिम विधिक कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी।

–sd–
(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

(i) निजी सचिव, अध्यक्ष, राप्रनिम, जयपुर।
(ii) अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, राप्रनिम, जयपुर।
(iii) क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिमं., कोटा – कृपया इकाई के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर उसे 02.03.2020 को समय 3.00 बजे मध्यान्ह पश्चात् मय सम्पूर्ण दस्तावेंज/जवाब सहित अध्यक्ष, राप्रनिम के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सुचित करे।
(iv) मास्टर फाईल

शाखा प्रभारी
(एससीएमजीएण्डडीएस)

For compliance
AEE
24/2/2020

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा